



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08/03/2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 50 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब तथा तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम



द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 50 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का तथा तस्करी में प्रयुक्त एक स्विफ्ट कार नम्बर HR12AA 0489 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवकुमार पुत्र जौहरीलाल निवासी असौली थाना कोतवाली मैनपुरी जनपद मैनपुरी।

बरामदगी का विवरण-

- 50 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।
- तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार नम्बर HR12AA 0489

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री अमर सिंह बौनाल आबकारी निरीक्षक बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री कैलाशनाथ थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत
- 3-है०का० अरविन्द कुमार आबकारी विभाग ।
- 4-का० वैभव कुमार आबकारी विभाग ।
- 5- है०का० 12 सत्यवीर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 08-03-2023

थाना छपरौली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा व 470 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा व 470 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देवेन्द्र पुत्र पलटू निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- सट्टा पर्चा ।
- 470 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली ।

2-का0 993 सूर्यप्रकाश थाना छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 08.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 62/2023 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2023 को थाना दोघट पर वादी श्री आजाद पुत्र यशपाल सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1-राजपाल पुत्र श्याम सिंह, 2-ऋषिपाल पुत्र श्याम सिंह, 3-राजपाल का



भांजा नाम पता अज्ञात व एक महिला निवासीगण कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने वादी के साथ गाली-गलौच की, विरोध करने पर वादी के साथ लाठी-डंडो से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के

आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 62/2023 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 62/2023 धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त राजपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजपाल पुत्र श्याम सिंह निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री मौ0 अब्बास नकबी ।

2-का0 73 रविन्द्र कुमार ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 08.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध पौनिया 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध पौनिया 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-सतेन्द्र पुत्र बिजेपाल निवासी ग्राम भगवानपुर नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-रामानन्द उर्फ नीटू पुत्र त्रिपाल निवासी ग्राम भगवानपुर नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-सुभाष उर्फ कल्लू पुत्र हरपाल निवासी ग्राम भगवानपुर नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-भूरा उर्फ शौकेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-रूपक पुत्र जगपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध पौनिया 12 बोरस मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त सतेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 87/2006 धारा 302 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 91/2006 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 63/2023 धारा 3/25/35 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुभाष उर्फ कल्लू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 251/15 धारा 147,148,149,452,307,323 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 409/19 धारा 279,304ए भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 63/2023 धारा 3/25/35 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त नीटू उर्फ रामानन्द का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 568/2008 धारा 302 भादवि थाना शाहपुर मु0नगर ।
- 2-मु0अ0सं0 189/2008 धारा 147,148,149,302 भादवि थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर ।
- 3-मु0अ0सं0 244/2008 धारा 25 आयुध अधि0 थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।
- 4-मु0अ0सं0 63/2023 धारा 3/25/35 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त रूपक का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 272/17 धारा 325 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 373/17 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 63/2023 धारा 3/25/35 आयुध अधि0 थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।
- 2-है0का0 557 राजकुमार ।
- 3-है0का0 124 कृष्णवीर सिंह ।
- 4-का0 18 राहुल कुमार ।